कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रॉकः– 524 / FP/UK/ROAD/123339/2021 दिनॉकःदेहरादून 23 अगस्त, 2021.

सेवा में,

श्री अमित वर्मा,
वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, देहरादून।

विषय– जनपद–देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत विकासखण्ड कालसी में हमरऊ ललऊ मोटर मार्ग से ग्राम गोथान तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.665 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता की पत्र संख्या–328 / 12–1 दिनांक 31–07–2021.

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता का उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र, जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है, द्वारा अवगत कराया है कि विषयांकित प्रस्ताव में पायी गयी कमियों के निराकरण की आख्या आपको प्रेषित कर दी गयी है। इस कार्यालय के पत्रांक 137/FP/UK/ROAD/123339/2021 दिनांक 13.07.2021 के बिन्दु संख्या–5 के क्रम में प्रस्ताव की सत्यापित हार्ड प्रति में वन अधिकार अधिनियम्, 2006 के फार्म–1 तथा फार्म–2 में दिनांक अंकित कर हार्ड प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की गई है किन्तु इस कार्यालय को पूर्व में प्रेषित एक मूल प्रति एवं एक सत्यापित प्रति में वन अधिकार अधिनियम्, 2006 के फार्म–1 तथा फार्म–2 में दिनांक अंकित करने की कार्यवाही नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग द्वारा आपको प्रेषित की गयी निराकरण आख्या आपके स्तर से आतिथि तक हार्ड प्रति (एक प्रति मूल में तथा एक सत्यापित प्रति) में इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित निराकरण आख्या तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए प्रस्ताव की अन्य प्रतियों में उक्तानुसार वन अधिकार अधिनियम्, 2006 के फार्म–1 तथा फार्म–2 में दिनांक अंकित करने हेतु इस कार्यालय से प्रस्ताव वापस प्राप्त कर कार्यवाही करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या :– / FP/UK/ROAD/123339/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रस्तावक विभाग को प्रस्ताव की शेष दो प्रतियों में उपरोक्तानुसार दिनांक अंकित करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करते हुए निराकरण आख्या की मूल प्रति सहित पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को वन संरक्षक के माध्यम से तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।